

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या : ई- 8337/जी0एस0
दिनांक : नवम्बर 06, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

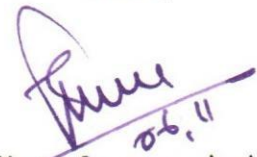
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एक प्राचीन चिकित्सा संस्थान स्थापित है।

उपर्युक्त चिकित्सा संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-8324/2024, दिनांक नवम्बर 05, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

राज भवन, लखनऊ

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०) के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8324/2024

दिनांक : ~~नवम्बर~~ 05, 2024

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ०प्र०), जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (क. 30 सन् 1983) के अन्तर्गत स्थापित है, के निदेशक की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

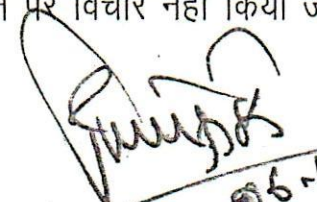
निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 65 (पैंसठ) वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पांच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

संस्थान में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान निदेशक का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त निदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

निदेशक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 24.11.2024 (रविवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
DIRECTOR, SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE
OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW (U.P.)**

Advt. No. E-8324/2024

Dated : **NOVEMBER 05, 2024**

It is proposed to appoint the Director for the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow (U.P.), established under The SGPGIMS Act, 1983 (No. 30 of 1983) by the Visitor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

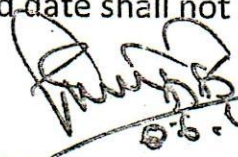
The Director shall hold office for a term of 05 (five) years from the date on which he/she enters upon his/her office or untill he/she attains the age of 65 (sixty five) years whichever is earlier.

The Director must possess the recognized post graduate medical qualification with a minimum of ten years teaching experience as Professor/Associate Professor/Reader in a medical college/institution out of which at least five years should be as professor in a department. Preference may be given to those with extensive practical & administrative experience in the field of medical relief, medical research, medical education or public health organization and adequate experience of running an important scientific education institution either as its Head or Head of a Department.

The newly appointed Director can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Director appointed and working in the Institute is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Director may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **24.11.2024 (Sunday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.


05.11.24

**Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.**